न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –17/2025

अनवान

1. जमीला बेगम पत्नी अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, आयु 79 वर्ष, निवासी पानी की टंकी के पास उपरागढ़, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. मोबिना बी पुत्री अब्दुल वहीद, जाति मुसलमान, आयु 79 वर्ष, निवासी पानी की टंकी के पास उपरागढ़, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री एच.एन.शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
पेराकार सरकार

निर्णय दिनांक 24.04.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते व स्वामित्व की कृषि आराजियात ग्राम आम्बा, प०ह० भैंसरोड़गढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 2, पुराना 2 की खसरा संख्या 10,17,18,34,35,36,37 ,38,39,44,6,7,8 कुल किता 13 कुल रकबा 6.9500 हेक्टर स्थित है, श्रीमान् की जानकारी हेतु जमाबंदी सम्वत् 2076–79 व नक्शा ट्रेस की नकल साथ में संलग्न है। मुझ प्रार्थीया जमीला बेगम के पति अब्दुल वहीद व मुझ प्रार्थीया मोबिना बी के पिता अब्दुल वहीद के नाम कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात थी, उनके इन्तकाल होने पर हम प्रार्थीगण का नाम अंकित किया गया था, किन्तु सहवन से व जल्दबाजी में मुझ प्रार्थीया जमीला बेगम की जगह मुझ प्रार्थीया का घर का नाम कल्लो बाई पत्नी अब्दुल वहीद अंकित कर दिया गया है, इसी प्रकार मुझ प्रार्थीया संख्या 02 मोबिना बी की जगह मोमिना बी पुत्री अब्दुल वहीद अंकित कर दिया गया है, जबकि हम प्रार्थीगण का वास्तविक नाम जमीला बेगम पत्नी अब्दुल वहीद व मोबिना बी पुत्री अब्दुल वहीद है क्योंकि हम प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, व मोबिना बी के स्कूल के समस्त दस्तावेजों में मोबिना बी नाम अंकित है व तहसीलदार रावतभाटा के यहां से उक्त मृत्यु उपरान्त जारी तस्दीक प्रमाण पत्र संख्या 6 दिनांक 21.01.2009 में भी नाम जमीला बेगम पत्नी अब्दुल वहीद अंकित है किन्तु सहवन से उक्त आराजियात पर इन्तकाल खुलते समय जमाबंदी में हम प्रार्थीगण का नाम कल्लो बाई पत्नी अब्दुल वहीद व मोमिना बी पुत्री अब्दुल वहीद दर्ज हो गया है, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश हुई है, इसलिए उक्त खाते में प्रार्थीगण का नाम जमीला बेगम पत्नी अब्दुल वहीद व मोबिना बी पुत्री अब्दुल वहीद अंकित किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कालम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का नाम जमीला बेगम पत्नी अब्दुल वहीद व मोबिना बी पुत्री अब्दुल वहीद किये जाने का [illegible] दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.14 09:53:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible] अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रक[illegible] होने से जवाब की आवश्यकता नही होने का निवेदन कर जवाब देने से इन्कार [illegible] गया। पेरोकार सरकार [illegible] न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम आम्बा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 2, पुराना 2 की खसरा संख्या 10,17,18,34,35,36,37 ,38,39,44,6,7,8 कुल किता 13 कुल रकबा 6.9500 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के पति प पिता अब्दुल पहीद के नाम दर्ज रिकार्ड थी, उनके इन्तकाल होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीया संख्या 01 के घर का नाम कल्लो बाई पत्नि अब्दुल वहीद व प्रार्थीया संख्या 02 का नाम मोबिना बी की जगह मोमिना बी अंकित कर दिया है, जबकि प्रार्थीया संख्या 01 का नाम जमीला बेगम पत्नि अब्दुल वहीद व प्रार्थीया संख्या 02 का नाम मोबिना बी पुत्री अब्दुल वहीद है, प्रार्थीया संख्या 01 के पति व प्रार्थीया संख्या 02 के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत का इंतकाल खोले जाते समय प्रार्थीया संख्या 01 का निकनेम/घर का नाम कल्लो बाई व प्रार्थीया संख्या 02 का नाम मोमिना बी लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया का असल नाम क्रमशः जमीला बेगम व मोबिना बी होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का नाम कल्लो बाई के स्थान पर जमीला बेगम व मोमिना बी के स्थान पर मोबिना बी करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम आम्बा, प0ह0 भैंसरोड़गढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 2, पुराना 2 की खसरा संख्या 10,17,18,34,35,36,37,38, 39, 44,6,7,8 कुल किता 13 कुल रकबा 6.9500 है0 भूमि में प्रार्थीगण का नाम कल्लो बाई के स्थान पर जमीला बेगम व मोमिना बी के स्थान पर मोबिना बी दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को सुनाया गया

(महेश गगोरिया)आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.14 09:53:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner